

के लगे लगे और कहा कि इस जमीन हम गैरलायतान ने सायतान के पिरा से खरीद ली है। अब हमें इस जमीन को खल नही करने देगे और जमीन से बेदखल करेगे और सायतान के साथ गैरलायतान मारपीट करने लग गये, यदि गैरलायतान ने भूमि के लाभ से लायतान को बांधे कर दिया, तो सायतान को अप्रौचित शक्ति व मर्ती अद्युषेधा होगी। इसलिए सायतान, गैरलायतान को अध्याधीनिबेधाशा से तार्केतला वादपत्र पाबन्द करने के अधिगरी है।

वहल वकील सायतान का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजख रिकॉर्ड जमाबंदी संपत् 2072 से 75 में तिलादित भूमि सायतान के खालेदारी में अंकित है; जिसका कोई खण्डन गैरलायतान द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ सायतान ने अपने कब्जे का खालेदारी भूमि होने का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है जिससे प्रथम दृष्टया उस सायतान के पक्ष में है एवं अप्रौचित शक्ति व अद्युषेधा का सन्तुलन भी सायतान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थनापत्र सायतान पेशकृ गैरलायतान लीकर किया जाता है। गैरलायतान को तार्केतला वादपत्र अध्याधीनिबेधाशा से पाबन्द किया जागाई कि वह तिलादित आयगी खे. न. 880 रकबा 2 बीघा 15 बिघा ग्राम नन्दर 150 मण्डरायल में सायतान के कब्जे का खल में लिखी 3000 का व्यवधान पैदा नही करे ना ही लिखी अन्य से नरवे। पत्रावली केसल शुमा होवा नम्वर से नम लेवा ग्रल वाया के साथ संलग्न है। पत्रावली केसल शुमा होवा नम्वर से नम लेवा ग्रल वाया के साथ संलग्न है। निर्णय लिखना आहर पुगाथा गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डरायल (करोली)

15-3-17 पत्रावली पेश हुई। वकील सामयान उपास्थित। गैरसामयान प्रार्थना पर 212 RT Act दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसामयान को जरिये सम्मन ललब किया जाये। पत्रावली वाले ललबी गैरसामयान दिनांक 21/4/2017 से पेश हो। (4)

5112  
519-21  
27-3-17  
मेरापद  
शिव कुमार  
रामनील  
शर्मा

21/4/17 पत्रावली पेश हुई। वकील सामयान उपास्थित। गैरसामयान प्रार्थना उपास्थित। प्र.०. साक्ष्य केंद्र डेवी-ग्रेसे में व्याप्त है। पत्रावली पूर्वापुनरा दिनांक 21/4/17 से पेश हो। (4)

21/5/17 पत्रावली पेश हुई। वकील सामयान उपास्थित। गैरसामयान नं. 1 अ 3 ललब उपास्थित। पत्रावली वाले जवाब न.१ दिनांक 21/5/17 से पेश हो। (4)

21/5/17 पत्रावली राजस्व लोड अडाल्ट केंद्र अडल सेवा केंद्र नींडा पर पेश हुई। वकील सामयान उपास्थित। पत्रावली वाले जवाब न.१ दिनांक 20/6/17 से पेश हो। (4)

20/6/17 पत्रावली पेश हुई। वकील सामयान उपास्थित। गैरसामयान नं. 1 अ 3 उपास्थित नहीं है। कड़ी झालाजे किल्लर गई। उपास्थित नहीं अर्थ। अतः उनके विश्व एकपक्षीय कर्म वाली के आदेश दिये जा रहे हैं। बहस वकील सामयान प्रार्थना एकपक्षीय लुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सामयान का बहस में ललब है कि आरजी खं. नं. 880 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गम-नीकर लहलील मंडलामल-सामयान के खालेदारी व कलजे कलर के हैं, जिससे गैरसामयान का कोर्ट सम्बन्ध नहीं है। गैरसामयान साकलवर पैसे वाली व्याप्त है और सामयान की कमजोरी का लाभ उठाकर सामयान की ग्रामि के अवशन खीनना चाहते हैं और अग्ये दिन सामयान की ग्रामि पर आवर सामयान से परेधान कर रहे हैं। वर्तमान में ग्रामि में सामयान की सरसों की फसल खडी हुई है। दिनांक 8.1.17 से सामयान-2 अपनी सरसों की फसल में पानी दे रहा था, लल सामयान-५, सामयान-२ का सहयोग कर रहा था, लभी गैरसामयान ग्रामि पर अग्ये और सामयान से गाली गलौण